

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
मुकदमा नम्बर 70/2020

निर्णय दिनांक:09.11.2020

श्रवण कुमार पुत्र फूसा राम जाति नाई निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला
बीकानेर।

—प्रार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ

उपस्थिति:-

—अप्रार्थी

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956।

यह प्रार्थना पत्र श्रवण कुमार ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त का एक खेत खसरा नम्बर 883/469 तादादी 0.0700 हैक्टेयर, बारानी 0.6300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 886/698 तादादी 3.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम देराजसर व खसरा नम्बर 658/463 तादादी 3.0400 हैक्टेयर रोही नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। प्रार्थी को जब उपरोक्त खसरान की भुमि पर केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी से समर्पक किया व जमाबन्दी की नकल दिनांक 19.10.2020 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 883/469 तादादी 0.0700 हैक्टेयर, बारानी 0.6300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 886/698 तादादी 3.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम देराजसर व खसरा नम्बर 658/463 तादादी 3.0400 हैक्टेयर रोही नारसीसर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से श्रवणराम पुत्र फूसाराम अंकित चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का नाम सही व वास्तविक नाम शुरू से ही श्रवण कुमार पुत्र फूसा राम रहा है वादगत खेतों के आपसी पारिवारिक विभाजन के बाद उक्त खसरों में प्रार्थी का नाम श्रवण कुमार की जगह श्रवणराम पुत्र फूसाराम दर्ज इंतकाल में प्रार्थी अंकित कर दिया है। प्रार्थी साक्षर व कृषि पेशा व्यक्ति है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नहीं रही है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर ही उक्त जानकारी हुई है प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान-पत्र में प्रार्थी का नाम श्रवण कुमार अंकित चला आ रहा है यानि खसरा नम्बर 883/469 तादादी 0.0700 हैक्टेयर, बारानी 0.6300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 886/698 तादादी 3.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम देराजसर व खसरा नम्बर 658/463 तादादी 3.0400 हैक्टेयर रोही नारसीसर के राजस्व रिकार्ड को छोड़कर तमाम दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम श्रवण कुमार पुत्र फूसा राम अंकित चला आ रहा है उपरोक्त सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। वादगत खेत खसरा नम्बर 883/469 तादादी 0.0700 हैक्टेयर, बारानी 0.6300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 886/698 तादादी 3.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम देराजसर व खसरा नम्बर 658/463 तादादी 3.0400 हैक्टेयर रोही नारसीसर में कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरों की भुमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम श्रवण कुमार पुत्र फूसा राम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भुमि में प्रार्थी का गलत नाम श्रवणराम अंकित होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरों भुमि पर केसीसी बनाने टूबेल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।



वादगत खसरा भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 19.10.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम श्रवण कुमार है तो अप्रार्थी ने मेरा सही नाम करने से इन्कार कर दिया मेरा नाम आपसी विभाजन इंतकाल दर्ज करते समय हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद गलत रूप से श्रवणराम अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम श्रवण कुमार अंकित कर दें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी का नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

1. यह है कि वादगत भूमि ग्राम देराजसर व नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
2. यह है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है:-


खेत खसरा नम्बर 883/469 तादादी 0.0700 हैक्टेयर, बारानी 0.6300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 886/698 तादादी 3.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम देराजसर व खसरा नम्बर 658/463 तादादी 3.0400 हैक्टेयर रोही नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम श्रवणराम अंकित हुआ है उसकी जगह श्रवण कुमार पुत्र फूसा राम जाति नाई निवासी देराजसर व रोही नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 883/469 तादादी 0.0700 हैक्टेयर, बारानी 0.6300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 886/698 तादादी 3.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम देराजसर व खसरा नम्बर 658/463 तादादी 3.0400 हैक्टेयर रोही नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम श्रवणराम अंकित हुआ है उसकी जगह श्रवण कुमार पुत्र फूसा राम नाम शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते हैं। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध करें।

आदेश आज दिनांक 09.11.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़